दिनांक 19.11.22 को जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में आयोजित जिला गुणवत्ता यकीन समिति (DQAC) के बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	समिति में पदनाम
1	जिलाधिकारी, खगड़िया	अध्यक्ष
2	सिविल सर्जन, खगड़िया	उपाध्यक्ष–सह–सचिव
3	प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, खगड़िया	सदस्य
4	उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, खगड़िया	सदस्य
5	संचारी रोग पदाधिकारी, खगड़िया	सदस्य
6	डॉ0 नरेन्द्र कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल, खगड़िया	सदस्य
7	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खगड़िया	सदस्य
8	जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया	संयोजक
9	जिला योजना समन्वयक, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया	सदस्य
10	जिला सलाहकार गुणवत्ता यकीन, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया	सदस्य
11	प्राचार्य ए0एन0एम0 स्कूल, खगड़िया	सदस्य
12	जिला टीम लीडर, जिला संसाधन इकाई, जिला संसाधन इकाई, केयर इंडिया, खगड़िया	सदस्य
13	सचिव, भारतीय चिकित्सा संघ, खगड़िया	सदस्य

सिविल सर्जन, खगड़िया द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का अभिवादन किया गया एवं चर्चा किये जाने वाले एजेंडा को सभी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं चर्चा से संबंधित दस्तावेजों को भी समिति के समक्ष रखा गया (यथा–महिला बंध्याकरण से संबंधित MOHFW का दिशा–निर्देश की छायाप्रति–Annex. A, एकरारनामा की छायाप्रति–Annex. B, लोकल एनेस्थेसिया से संबंधित राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा निर्गत पत्र की छायाप्रति–Annex. C, सिविल सर्जन, खगडिया द्वारा प्रतिवेदित टंकित एवं हस्ताक्षरित जाँच प्रतिवेदन (संबंधित लाभार्थियों/व्यक्तियों के लिखित ब्यान की छायाप्रति एवं छायाचित्र सहित) की छायाप्रति–Annex. D, संचारी रोग पदाधिकारी, खगडिया द्वारा प्रतिवेदित टंकित एवं हस्ताक्षरित जॉच प्रतिवेदन (संबंधित लाभार्थियों/व्यक्तियों के लिखित ब्यान की छायाप्रति एवं छायाचित्र सहित) की छायाप्रति, –Annex. E, कार्यकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबत्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की छायाप्रति–Annex. F, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक सह प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबत्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की छायाप्रति–Annex. G, जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय का पत्रांक 885 दिनांक 10.09.22 की छायाप्रति–Annex. H एवं संबंधित विडियो क्लिप की सीडी–Annex. F)

बिन्दु :–1

विभिन्न समाचारपत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त खबर दिनांक 12.11.2022 ... सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली में किये गये महिला बंध्याकरण के दौरान बरती गई लापरवाही के संबंध में :-

शिकायत की पृष्ठभूमि :–

दिनांक 13.11.2022 को विभिन्न समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया में यह खबर प्रकाशित/प्रचारित किया गया कि दिनांक 12.11.2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली में आयोजित महिला बंध्याकरण शिविर में लाभार्थियों को बिना बेहोश किये ही ऑपरेशन कर दिया गया। साथ ही एक शिकायतकर्त्ता कुमारी प्रतिमा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि उसे बिना बेहोश किये ही, चार–पाँच व्यक्तियों द्वारा हाथ–पैर पकड़कर उसका बंध्याकरण कर दिया गया।

जाँच प्रतिवेदन का सार :–

उक्त प्रकाशित/प्रचारित खबर के आलोक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्राप्त आदेशोपरांत दिनांक 16.11.2022 को सिविल सर्जन के द्वारा जाँच के क्रम में तथाकथित शिकायतकर्त्ता श्रीमती कुमारी प्रतिमा, उम्र–29 वर्ष, पति–श्री राजीव कुमार, वार्ड नं0–07, अलौली का संबंधित महिला बंध्याकरण पुस्तिका का अवलोकन किया गया एवं उसकी छायाप्रति जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न की गई। साथ ही तथाकथित शिकायतकर्त्ता का ब्यान उनके घर पर जाकर लिया गया। पुनः दिनांक 19.11.2022 को सिविल सर्जन, खगड़िया द्वारा अलौली प्रखंड जाकर दिनांक 12.11.2022 को आयोजित बंध्याकरण शिविर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली के कुल 23 लाभार्थियों में से यादृच्छिक रूप से चयन किये गये कुल 07 लाभार्थियों–1. श्रीमती काजल देवी, पति–श्री नित्यानंद राय, बीरगाँव, सहरसा 2. श्रीमती स्मिता कुमारी, पति–श्री साजन कुमार, बुधौरा, अलौली 3. श्रीमती दायमनी देवी, पति–श्री धीरज पटेल, मेघौना, अलौली 4. श्रीमती कुमकुम देवी, पति–श्री उमेश सिंह, बहादुरपुर, अलौली 5. श्रीमती फूलन देवी, पति–श्री मुकेश कुमार, टीकापुर, खगड़िया 6. श्रीमती सोनी देवी, पति–श्री सत्यपाल सिंह, छोटी सिमराहा, अलौली एवं 7. श्रीमती रिंकू देवी, पति–श्री लालटून मुखिया, चिकनी, अलौली का व्यक्तिगत रूप से ब्यान लिया गया।

इसी क्रम में जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया के द्वारा कुल 10 लाभार्थियों–1. श्रीमती मनीषा देवी, मोहराघाट 2. श्रीमती बादामिया देवी, अलौली 3. श्रीमती साधना कुमरी, मोहराघाट 4. श्रीनती रेखा देवी, कुशेश्वर स्थान 5. श्रीमती रिंकू देवी, तिलकेश्वर 6. श्रीमती पूजा देवी, मछड़ा 7. श्रीमती संजू देवी, अलौली 8. श्रीमती चंदा देवी, भदास 9. श्रीमती काजल देवी, मणिपुर 10. श्रीमती संजू देवी, बलुआ से दूरभाष पर वार्ता की गई। सभी लाभार्थियों (शिकायतकर्त्ता सहित) के द्वारा दिये गये ब्यान में कहा गया कि 02 सूई एक–एक बांह में दी गई एवं लगभग आधा घंटा बाद टेबूल पर लेटाया गया और पेट के पास एक सूई दी गई। ब्यान से स्पष्ट है कि निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रोटोकॉल के अनुसार ही सभी लाभार्थियों को एनेस्थिसिया दिया गया जिसकी सभी लाभार्थियों के द्वारा पुष्टि भी की गई। एक मात्र शिकायतकर्त्ता द्वारा ही यह बात भी कही गई कि उसे बेहोश नहीं किया गया, काफी दर्द हुआ एवं चार–पाँच आदमी द्वारा हाथ–पैर पकड़कर उसका ऑपरेशन कर दिया गया जबकि शिकायकर्त्ता द्वारा सिविल सर्जन, खगड़िया के समक्ष दिया गया ब्यान का सार इस प्रकार है :–

- शिकायतकर्त्ता श्रीमती कुमारी प्रतिमा, उम्र–29 वर्ष, पति–राजीव कुमार, वार्ड नं0–07, अलौली द्वारा बताया गया कि पहले उसका एपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, जो बेहोश कर किया गया था परन्तु इस बार बंध्याकरण ऑपरेशन में उसे बेहोश नहीं किया गया।
- संबंधित शिकायतकर्त्ता श्रीमती कुमारी प्रतिमा द्वारा बताया गया कि एक–एक सूई दोनों बांह में एवं एक सूई पेट में दिया गया जिससे उसे पेट में कुछ चुभने का एहसास हुआ और ऐसा लगा कि कोई नस खींचा जा रहा है जिससे बहुत ज्यादा दर्द हुआ।
- शिकायतकर्त्ता श्रीमती कुमारी प्रतिमा द्वारा स्वीकार किया गया कि ऑपरेशन के बाद सूई दी गई।

उक्त संदर्भ में डॉ0 अमित कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली श्री अशोक कुमार यादव, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, श्री रौशन कुमार रंजन, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली से लिये गये लिखित ब्यान एवं डॉ0 मनीष कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली एवं दो सफाई कर्मी से सिविल सर्जन, खगड़िया के द्वारा पूछ–ताछ के क्रम में कहा गया कि सभी लाभार्थियों का ऑपरेशन सही तरीके से हुआ, किसी प्रकार की परेशानी /जटिलता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई एवं ऑपरेशन से सभी संतुष्ट दिखे।

इसी क्रम में संबंधित शल्य चिकित्सक डॉ0 गुलसनोबर से भी सिविल सर्जन, खगड़िया द्वारा लिखित ब्यान लिया गया जिसमें कहा गया कि सभी लाभार्थियों का बंध्याकरण परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (MoHFW) द्वारा जारी दिशा–निर्देश/प्रोटोकॉल के अनुसार ही किया गया है।

निर्धारित मानक प्रक्रिया :–

किसी भी लाभार्थी/रोगी को लोकल एनेस्थिसिया देने के क्रम में वजन के आधार पर आधा घंटा पहले Inj. Pathedine, Inj. Pro methagine को Intra Muscular देने का प्रावधान है। ऑपरेशन के समय 2% Inj. Xylocaine (50% diluted with NS) ऑपरेशन भाग पर Diamond Shape में Skin से लेकर Peritoneum तक Infiltrate करते हुये 5 मिनट इंतजार कर उस भाग के शून्य होने के जाँचोपरांत ही ऑपरेशन किया जाना है।

इस बात की भी चर्चा की गई कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 4719 एवं दिनांक 24.11.17 (संलग्न) के द्वारा भी सभी सिविल सर्जन बिहार को इस आशय का पत्र निर्गत किया गया कि परिवार कल्याण ऑपरेशन में लोकल एनेस्थिसिया के उपयोग को प्राथमिकता दी जाय।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्रदत्त फैमिली प्लानिंग–ए ग्लोबल हैंडबुक फॉर प्रोवाईडर्स के अनुसार परिवार नियोजन ऑपरेशन में जेनेरल एनेस्थिसिया की तुलना में लोकल एनेस्थिसिया में जोखिम की संभावना कम रहती है।

परिवार कल्याण प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के Reference Mannual for Female Sterilization के Chapter 6 में भी उल्लेखित है कि लोकल एनेस्थिसिया महिला बंध्याकरण ऑपरेशन हेतु सबसे उपयुक्त एनेस्थिसिया है और यह विधि उन स्वास्थ्य संस्थान के लिये भी उपयुक्त है जहाँ पर सीमित संसाधन है। साथ ही जेनेरल एनेस्थिसिया में लाभार्थी को ऑपरेशन कराने के लिये काफी देर तक खाली पेट रहना पड़ता है जिससे कोई प्रकार की जटिलताएँ भी होने की प्रबल संभावना बनी रहती है।

समिति का मंतव्य :–

जाँचोपरांत वर्त्तमान में प्राप्त/उपलब्ध सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं इस पर चर्चा की गई। चर्चा के क्रम में बैठक में उपस्थित समिति के सदस्य जिसमें कि 07 चिकित्सक हैं, सभी के द्वारा निजी अनुभव साझा करते हुए बताया गया कि पूर्व में ऑपरेशन के क्रम में मुर्च्छित करने हेतु जेनेरल एनेस्थिसिया का उपयोग किया जाता था जिसमें दर्द से संबंधित कोई समस्या नहीं आती थी। वर्त्तमान में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार लोकल एनेस्थिसिया का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि लाभार्थियों/रोगियों को ऑपरेशन के दौरान कम अथवा थोड़ा अधिक दर्द हो सकता है जो कि लाभार्थियों/रोगियों के Anxiety level एवं उनके दर्द सहने की क्षमता पर निर्भर करता है। ऐसा होना असामान्य नहीं है।

शिकायतकर्त्ता के केस के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि वह बेहोशी का मतलब पूरी तरह से बेहोश होने को समझ रही हैं जबकि लोकल एनेस्थेसिया के प्रोटोकॉल के अनुसार मरीज को पूरी से होश में रहना है और उससे बात भी की जाती रहनी है ताकि वह नॉर्मल रह सके। अतः समिति के सदस्यों ने समेकित रूप से माना कि दोनों प्रकार के एनेस्थेसिया के प्रभाव का तुलना करना विचारणीय

नहीं हैं एवं इस ऑपरेशन में लोकल एनेस्थेसिया का उपयोग किया जाना था जिसका अनुपालन किया गया। जहाँ तक शिकायतकर्त्ता द्वारा नस खींचे जाने की बात कही जा रही है तो सही है कि जिस समय फैलोपियन ट्यूब को निकाला जा रहा होगा, उसे दर्द का आभास हुआ होगा। ऑपरेशन के दौरान ज्यादा दर्द होने पर मरीज को बेहोश होने संबंधी Inj. दिया जाता है जिसको ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहोशी का Inj. दिया होगा और सर्जरी पूर्ण की गई होगी जो कि शिकायतकर्त्ता के द्वारा भी ऑपरेशन के बाद सूई देने की बात स्वीकार की गई है। जिसके प्रभाव के कारण उसे दो घंटे बाद होश आया।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया द्वारा प्राप्त खबर कि तीन–चार लोगों द्वारा जबरन पकड़ कर तथाकथित महिला का बंध्याकरण किया गया, के संदर्भ में जाँचकर्त्ता द्वारा संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रबंधकीय कार्य से जुड़े अन्य कर्मियों से गहन पूछ–ताछ के क्रम में स्पष्ट हुआ कि यदि ऐसा होता तो शिकायकर्त्ता अथवा उसके परिजन उसी समय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अथवा ड्यूटी पर कार्यरत चिकित्सक/कर्मी को इस बात की शिकायत करते एवं तत्काल सूचना दी गई होती जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सोशल मीडिया में वायरल यह विडियो ऑपरेशन के दूसरे दिन का है। साथ ही उनके साथ बंध्याकरण कराने आयी महिलाओं के द्वारा भी इस इस बात की पुष्टि नहीं की गई, जिससे कि तथाकथित शिकायतकर्त्ता का उक्त आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

उक्त के आलोक में समिति के समेकित मंतव्य के अनुसार शिकायतकर्त्ता के स्वयं स्वीकारोक्ति के आधार पर पूर्णतः स्पष्ट है कि उसे निर्धारित तीनों सूई दी गई। साथ ही उपस्थित चिकित्सकों द्वारा यह भी मंतव्य दिया गया कि यह बात अस्वीकार्य/असंभव है कि बिना एनेस्थिसिया दिये ऑपरेशन किया गया होगा। अतः सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह दावा कि बिना एनेस्थिसिया के ऑपरेशन किया गया, पूर्णतः गलत एवं निराधार है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ गैर सरकारी संस्था के चिकित्सीय लापरवाही का कारण ही नहीं बनता है एवं किसी प्रकार के पृथक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

समिति का निर्णय :–

अतः समिति के समेकित मंतव्य के अनुसार वर्त्तमान में उपलब्ध सभी साक्ष्यों के आधार पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रत्यायित गैर सरकारी संस्था, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिसिएटिव, दरभंगा एवं संबंधित स्वास्थ्य के इकाई प्रधान एवं अन्य पदाधिकारी/कर्मी भविष्य में भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रोटोकॉल/सरकारी प्रावधानों एवं जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया के साथ हस्ताक्षर किये गये एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप ही कार्य करते रहेंगे। यदि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में इसका उल्लंघन किया जाता है अथवा कार्यशैली में विचलन होता है तो संबंधित गैर सरकारी संस्था एवं स्वास्थ्य संस्थान के पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्व कड़ी से कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

बिन्दु :–2

विभिन्न समाचारपत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया से प्राप्त खबर, दिनांक 11.11.2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबत्ता में महिला बंध्याकरण प्रक्रिया के क्रम में सामूहिक रूप से Pre Operative लाभार्थियों को बेहोश कर अस्पताल के फर्श पर बिछे दरी पर लेटाकर रखने संबंधी लापरवाही के संबंध में :–

शिकायत की पृष्ठभूमि :–

दिनांक 12.11.2022 को विभिन्न समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया में यह खबर प्रकाशित/प्रचारित किया गया कि दिनांक 11.11.2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबत्ता में महिला बंध्याकरण प्रक्रिया के क्रम में सामूहिक रूप से Pre Operative लाभार्थियों को बेहोश कर अस्पताल के फर्श पर बिछे दरी पर ही लेटाकर रखा गया।

जाँच प्रतिवेदन का सार :–

उक्त प्रकाशित/प्रचारित खबर के आलोक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्राप्त आदेशोपरांत दिनांक 17.11.22 को सिविल सर्जन, खगड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबत्ता जाकर कार्यकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, डॉ0 हरिनंदन शर्मा एवं प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक सह प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, दीपक कुमार और अन्य कर्मियों से उक्त घटना के संबंध में पूछ–ताछ की गई। प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक द्वारा बताया गया कि इससे पूर्व Pre-Operative प्रक्रिया के दौरान अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कुर्सियों की व्यवस्था की जाती थी। दिनांक 11.11.22 को संध्या 04:00 बजे से "पुरूष नसबंदी पखवाड़ा" विषय पर सिविल सर्जन महोदय की अध्यक्षता में आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित होने के कारण व्यवस्था नहीं की जा सकी।

उक्त संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में तत्समय कार्यकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, डॉ0 हरिनंदन शर्मा एवं प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक सह प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, दीपक कुमार से स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया गया। प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक द्वारा समर्पित किये गये इस जवाब में उल्लेखित है कि "परिवार कल्याण ऑपरेशन में गैर सरकारी संस्था, FRHSI, मुंगेर के द्वारा व्यवस्था किया जाता है एवं ऑपरेशन की जिम्मेवारी FRHSI, मुंगेर की है", जबकि अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि संस्थान के Preparedness की पूर्ण जवाबदेही उस संस्थान के इकाई प्रधान एवं अन्य कर्मियों की है। इसकी अवहेलना किया जाना सरकारी कार्यों/आदेशों के प्रति उसकी घोर लापरवाही परिलक्षित करता है।

कार्यकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा समर्पित किये गये जवाब में भी यही कहना है कि "परिवार कल्याण ऑपरेशन में गैर सरकारी संस्था, FRHSI, मुंगेर के द्वारा व्यवस्था किया जाता है एवं ऑपरेशन की जिम्मेवारी FRHSI, मुंगेर की है" एवं क्षेत्र भ्रमण की बात का बहाना दर्शाना, इस बात को परिलक्षित करता है कि वह अपने जवाबदेही से विमुक्त होना चाहते हैं जबकि उस दिन क्षेत्र भ्रमण का वैकल्पिक व्यवस्था कर उनके द्वारा परिवार कल्याण कैंप की व्यवस्था का पर्यवेक्षण किया जाना श्रेयस्कर/उचित होता जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। जहाँ तक 04:00 बजे की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सवाल है तो वह एक पूर्व निर्धारित बैठक थी और इनके पास FDS Management की तैयारी हेतु पूरा दिन था जो कि इनके द्वारा नहीं किया गया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संबंधित एकरारनामा के कंडिकाओं एवं जिला कार्यालय द्वारा निर्गत निदेश का अनुसरण नही किया गया।

जाँच के क्रम में स्पष्ट हुआ कि दिनांक 11.11.22 को प्रत्यायित गैर सरकारी संस्था, FRHSI, Patna द्वारा महिला बंध्याकरण ऑपरेशन विलम्ब से अपराह्न 03:00 बजे प्रारंभ किया गया एवं टेस्टिंग टीम भी ऑपरेशन प्रारंभ होने से एक घंटे पूर्व अर्थात् अपराह्न 02:00 बजे ही पहुँची।

पुनः जिलाधिकारी के आदेशानुसार दिनांक 19.11.2022 को संचारी रोग पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबत्ता में दिनांक 11.11.2022 को आयोजित महिला बंध्याकरण कैंप में हुये लापरवाही के जाँच के क्रम में कुल 35 लाभार्थियों में से यादृच्छिक रूप से चयन किये गये कुल 05 लाभार्थियो–1. श्रीमती मनीषा कुमारी, पति–श्री मिटठु कुमार, तेमथा 2. श्रीमती शांति देवी, पति–श्री चन्द्रशेखर साह, ग्राम–कानुटोला 3. श्रीमती खुशबू देवी, पति–श्री सुजीत कुमार साह, ग्राम–करना 4. श्रीमती चंचल, पति–श्री दर्पण सिंह, ग्राम–करना 5. श्रीमती पूजा कुमारी, पति–श्री राजेश कुमार, ग्राम–करना से लिखित ब्यान लिया गया, जिसमें कि उन सभी के द्वारा भी लापरवाही की पुष्टि की गई कि उन्हें ऑपरेशन के पूर्व सूई देकर बेड की जगह अस्पताल के फर्श पर बिछे दरी पर लेटाया गया था।

साथ ही डॉ0 राजीव रंजन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, परबत्ता, डॉ0 हरिनंदन शर्मा, कार्यकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, परबत्ता, श्री दीपक कुमार, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक सह प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, परबत्ता एवं कौशल कुमार, गैर सरकारी संस्था जिला प्रतिनिधि, FRHSI, मुंगेर का भी लिखित बयान लिया गया। गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि

"ऑपरेशन से पूर्व लाभार्थी को दो सूई दी जाती है जिससे उसे नींद आने लगती है, इस कारण उस दिन एक लाभार्थी कुर्सी पर झपक गई और वहीं बिछे दरी पर लेट गई, उसे देखकर शेष सभी लाभार्थी भी वहीं दरी पर लेट गई। श्री कुमार द्वारा बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, के अंतः कक्ष में 30 बेड उपलब्ध है, परन्तु वह ऑपरेशन कक्ष से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बने भवन के प्रथम तल पर है और लाभार्थी का ऑपरेशन होने तक पल्स एवं बी0पी0 चेक करते रहना पड़ता है।"

जाँच के क्रम में यह भी स्पष्ट हुआ कि संबंधित गैर सरकारी संस्था द्वारा उक्त तिथि दिनांक 11.11.2022 को निर्धारित मानक के विरूद्ध एक FDS कैंप में एक सर्जन के द्वारा 35 लाभार्थियों का परिवार नियोजन ऑपरेशन किया गया था।

निर्धारित मानक प्रक्रियाः–

गैर सरकारी संस्था के साथ जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया द्वारा दिनांक 10.08.22 को हस्ताक्षरित MoU के कंडिका 4 (Obligations of the First Party) एवं जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के पत्रांक 885 दिनांक 10.09.22 (संलग्न) के कंडिका 03 में गैर सरकारी संस्था की पूर्ण जवाबदेही (यथा– Pre Operative Examination, Pathological Tests, Operation, Post Operative- संबंधित दवा सहित) एवं सरकारी स्वास्थ्य संस्थान की पूर्ण जवाबदेही (यथा–लाभार्थी के Mobilization, FDS Management, Documentation इत्यादि), का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नंबर 2014 में प्रकाशित Standards & Quality Assurance in Sterilization Services के पृष्ठ संख्या 25 पर वर्णित कंडिका 4.4.2 एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2021 में प्रकाशित Guidelines for provision of Family Plannning services during and post COVID-19 Pandemic के पृष्ठ संख्या 2 पर वर्णित शीर्षक PrioritiZing FP Services अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि एक सर्जन द्वारा एक FDS कैंप में अधिकतम 30 लाभार्थियों का परिवार नियोजन ऑपरेशन एवं एक से अधिक सर्जन उपलब्ध होने तथा पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध होने पर समानुपातिक रूप से लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है ताकि लाभार्थियों/रोगियों पर सर्जन द्वारा पर्याप्त समय दिया जा सके।

समिति का मंतव्यः–

जाँचोपरांत वर्त्तमान में प्राप्त/उपलब्ध सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं इस पर चर्चा की गई। चर्चा के क्रम में बैठक में उपस्थित समिति के सदस्य जिसमें कि 07 चिकित्सक हैं, सभी के द्वारा निजी अनुभव साझा करते हुए बताया कि किसी भी परिस्थिति में लाभार्थियों/रागियों को अस्पताल के फर्श पर नही लिटाया जाना चाहिए। समिति के समेकित मंतव्य के अनुसार उक्त घटना में दोनों (गैर सरकारी संस्थान एवं सरकारी संस्थान) तरफ से चूक हुई :–

- सरकारी स्वास्थ्य संस्थान महिला बंध्याकरण हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। जब (Fixed Day Services) FDS का दिवस निर्धारित था तो दिशा–निर्देशानुसार FDS Management की जवाबदेही सरकारी स्वास्थ्य संस्थान द्वारा पूर्ण की जानी थी जो कि नहीं की गयी।
- यदि संबंधित स्वास्थ्य संस्थान निर्धारित मानक के अनुरूप पूर्ण से तैयार नहीं था तो गैर सरकारी संस्था FRHSI के प्रतिनिधि द्वारा उक्त बात की सूचना अविलंब संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दी जानी चाहिए थी जो कि नहीं की गयी।
- इस घटना के क्रम में लाभार्थी महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ एवं साथ ही संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया।

587

समिति का निर्णय :–

समिति के समेकित मंतव्य के अनुसार वर्त्तमान में उपलब्ध सभी तथ्यों/साक्ष्यों एवं उपरोक्त सघन जॉच के आधार पर इस कृत्य को अमानवीय एवं अमर्यादित मानते हुये सर्वसम्मति से डॉ0 हरिनंदन शर्मा कार्यकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबत्ता एवं श्री दीपक कुमार, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक सह प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबत्ता पर अविलंब विभागीय कार्रवाई किये जाने तथा संबंधित गैर सरकारी गैर सरकारी संस्था, FRHSI, पटना के साथ किए गए एकरारनामा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

ह0/–
सचिव, भारतीय चिकित्सा संघ
खगड़िया

ह0/–
जिला टीम लीडर, जिला संसाधन इकाई
केयर इंडिया, खगड़िया

ह0/–
प्राचार्य ए0एन0एम0 स्कूल
खगड़िया

ह0/–
जिला सलाहकार गुणवत्ता यकीन
जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया

ह0/–
जिला योजना समन्वयक
जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया

ह0/–
जिला कार्यक्रम प्रबंधक
जिला स्वास्थ्य समिति,खगड़िया

ह0/–
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खगड़िया

ह0/–
डॉ0 नरेन्द्र कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ
सदर अस्पताल, खगड़िया

ह0/–
संचारी रोग पदाधिकारी
खगड़िया

ह0/–
उपाधीक्षक
सदर अस्पताल, खगड़िया

ह0/–
प्रभारी पदाधिकारी
विधि शाखा,खगड़िया

ह0/–
सिविल सर्जन
खगड़िया

ह0/–
जिलाधिकारी
खगड़िया

ज्ञापांक : 1123 दिनांक : 19.11.22

प्रतिलिपिः– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, परिवार कल्याण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, गुणवत्ता यकीन कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी, परिवार कल्याण कार्यक्रम खगड़िया, को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, खगड़िया जिलान्तर्गत को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– FRHSI, पटना एवं ग्लोबल डेवलपमेन्ट इनिसिएटिव, दरभंगा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

सिविल सर्जन सह
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
खगड़िया।